उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

संख्या-572/2025/395 के-2/22-3-2025-17(943)/2021

लखनऊ: दिनांक: 11 दिसम्बर, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी साधू उर्फ रामसम्हारू (बन्दी संख्या-46650) पुत्र श्री छोटेलाल, निवासी-ग्राम तेंदुआ खास, थाना-कोतवाली टाण्डा, जनपद-अम्बेडकरनगर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-**183/2001** व 175/2001 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147, 302/149, 506 व 3/25 आयु0अधि0 में मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, अंबेडकरनगर के आदेश दिनांक **04**.03.2006 द्वारा आजीवन करावास से दण्डित किया गया, द्वारा दिनांक 20.01.2023 तक भोगी गयी 18 वर्ष, 10 माह, 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष, 09 माह, 05 दिन की सपरिहार सजा, बंदी की आयु 56 वर्ष, 08 माह, 02 दिन व जेल आचरण संतोषजनक होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

3- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

4- जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर/वाराणसी।

5- पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर/वाराणसी।

6- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारगार, वाराणसी।

7- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कमलेश कुमार

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in